भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1432

उत्तर देने की तारीख: 04.12.2024

अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के अवसर

1432. डॉ. किरसान नामदेव:

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का राज्य-वार, क्षेत्र-वार और धर्म-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार से पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) की एक प्रमुख योजना है, जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं को समायोजित करती है और कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमशीलता और नेतृत्व; और स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करती है। 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल' और 'उस्ताद' योजनाओं के तहत रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिन्हें अब पीएम विकास योजना में समायोजित कर दिया गया है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण और उनमें प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i) सीखो और कमाओ (SAK) योजना, 2013-14 में शुरू की गई, जिसका लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को उनकी योग्यता, मौजूदा आर्थिक रुझानों और बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना था, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या उन्हें

स्वरोजगार अपनाने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बनाया जा सके। शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 4.68 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और योजना पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार 2.90 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को शामिल किया गया है। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लाभार्थियों का राज्यवार, क्षेत्रवार और धर्मवार ब्यौरा नहीं रखा गया है।

ii) नई मंजिल योजना 2015 में शुरू हुई और इसका क्रियान्वयन उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया, जिनके पास औपचारिक स्कूल ड्रॉपआउट प्रमाण पत्र नहीं है। इस योजना ने औपचारिक शिक्षा (कक्षा VIII या X) और कौशल का संयोजन प्रदान किया और लाभार्थियों को बेहतर रोजगार और आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाया। शुरूआत से अब तक 98,712 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और योजना पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार 58,168 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालाँकि, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का राज्य-वार, क्षेत्र-वार और धर्म-वार विवरण नहीं रखा गया है।

iii) उस्ताद योजना 2015 में शुरू हुई और इसका लक्ष्य मास्टर कारीगरों/कारीगरों के पारंपरिक कौशल का निर्माण और उन्नयन करना था। शुरुआत से लेकर अब तक, इस योजना के तहत लगभग 21,611 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें स्वयं सहायता समूहों में रखा/स्व-रोजगार/संगठित किया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों (अर्थात 2018-19 से 2022-23) के दौरान मंत्रालय की 03 छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

*****

अनुबंध

I.	आकलन वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***
1	अंडमान और निकोबार	56	107	2796	3272	97
2	आंध्र प्रदेश	129589	161555	152714	175563	8573
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	116564	290719	250267	235337	4706
5	बिहार	222209	245662	134270	175287	3001
6	चंडीगढ़	1342	1461	1913	1783	44
7	छत्तीसगढ़	5595	4839	4308	4453	412
8	दिल्ली	2216	4928	8328	12302	546
9	गोवा	349	497	772	1111	77
10	गुजरात	128432	134907	102873	89543	2796
11	हरियाणा	6259	8860	9396	25011	994
12	हिमाचल प्रदेश	1541	2056	1985	1790	193
13	जम्मू और कश्मीर	155312	523653	466290	389132	8402
14	झारखंड	50466	84133	14332	14146	683
15	कर्नाटक	433314	507463	517527	566291	47922
16	केरल	573776	593531	599692	634299	52879
17	लद्दाख	0	0	14862	11884	292
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	108841	137269	113780	139638	8573
20	**महाराष्ट्र**	**688310**	**744273**	**734816**	**802121**	**35502**
21	मणिपुर	14882	44390	47526	52432	4275
22	मेघालय	5392	9865	14630	15462	613
23	मिजोरम	42696	52652	53129	60784	1236
24	नागालैंड	28156	53156	69053	77882	4551
25	ओडिशा	10611	12934	17470	25620	700
26	पुदुचेरी	2331	3223	3963	4318	319
27	पंजाब	409392	468622	447136	503179	15748
28	राजस्थान	135980	165049	146296	188827	14881
29	सिक्किम	392	716	102	513	22
30	तमिलनाडु	325580	376543	381455	448485	49824

31	तेलंगाना	169146	171908	156037	177571	9453
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	134	468	275	318	9
33	त्रिपुरा	3283	3525	5723	7109	391
34	उत्तर प्रदेश	691804	727980	747354	842938	40303
35	उत्तराखंड	21275	30197	18621	21812	556
36	पश्चिम बंगाल	1206629	884	273	576	3
कुल		**5691854**	**5568025**	**5239964**	**5710789**	**318576**
* आकलन वर्ष 2022-23 के अनंतिम आंकड़े						

II. आकलन वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***
1	अंडमान और निकोबार	18	9	278	295	44
2	आंध्र प्रदेश	13292	15408	12661	15216	3159
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	27856	38531	30456	49106	254
5	बिहार	49333	48456	43512	19642	1455
6	चंडीगढ़	115	154	123	117	6
7	छत्तीसगढ़	2114	2202	2198	2744	786
8	दिल्ली	2063	2261	3518	2908	372
9	गोवा	140	218	349	458	84
10	गुजरात	20652	23445	21289	23519	4353
11	हरियाणा	3792	4703	5194	7824	1206
12	हिमाचल प्रदेश	430	534	500	637	157
13	जम्मू और कश्मीर	28536	111052	53725	47574	5722
14	झारखंड	12616	13182	5918	5494	761
15	कर्नाटक	48924	74944	55081	73830	17262
16	केरल	65875	65635	67583	74271	15787
17	लद्दाख	0	0	1593	905	63
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	18536	22038	20430	23622	5255
20	**महाराष्ट्र**	**48332**	**48331**	**47333**	**42110**	**7137**
21	मणिपुर	3860	5599	4497	4629	701
22	मेघालय	6563	7533	7254	5306	614
23	मिजोरम	1300	1309	1144	1702	192
24	नागालैंड	4360	5332	6029	6421	1272
25	ओडिशा	2134	2738	3146	4030	779
26	पुदुचेरी	516	572	596	629	115
27	पंजाब	55829	56646	53450	55430	7570
28	राजस्थान	24437	27933	27404	30012	7256
29	सिक्किम	104	52	85	289	35
30	तमिलनाडु	36628	43241	44319	52409	14056

31	तेलंगाना	15597	17393	18372	20843	1736
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	59	81	57	78	12
33	त्रिपुरा	1164	1067	1004	1766	226
34	उत्तर प्रदेश	86303	94291	4646	134433	24639
35	उत्तराखंड	2830	4521	114388	5296	729
36	पश्चिम बंगाल	99957	3730	5184	6548	812
कुल		**684265**	**743141**	**663316**	**720093**	**124607**

* आकलन वर्ष 2022-23 के अनंतिम आंकड़े

III. आकलन वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1	अंडमान और निकोबार	2	3	4	3	1
2	आंध्र प्रदेश	2599	3476	1808	2118	957
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	4437	6158	7216	9287	1263
5	बिहार	11144	6985	7933	6733	2876
6	चंडीगढ़	8	2	6	7	5
7	छत्तीसगढ़	421	432	441	516	265
8	दिल्ली	459	384	376	295	111
9	गोवा	76	76	116	50	25
10	गुजरात	3437	3037	2722	2731	1006
11	हरियाणा	821	821	772	1029	516
12	हिमाचल प्रदेश	48	30	32	51	20
13	जम्मू और कश्मीर	5794	7702	8898	9392	2837
14	झारखंड	1264	1501	232	685	263
15	कर्नाटक	15979	20779	22510	22161	9727
16	केरल	22038	26205	29630	32790	19890
17	लद्दाख	0	0	130	81	9
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	2154	2448	2216	2530	1263
20	**महाराष्ट्र**	**4336**	**2814**	**4**	**3**	**1**
21	मणिपुर	364	348	1808	2118	957

22	मेघालय	1182	1322	0	0	0
23	मिजोरम	543	1115	7216	9287	1263
24	नागालैंड	1186	1193	7933	6733	2876
25	ओडिशा	537	436	6	7	5
26	पुदुचेरी	57	62	441	516	265
27	पंजाब	3273	2410	376	295	111
28	राजस्थान	3555	3241	116	50	25
29	सिक्किम	21	18	2722	2731	1006
30	तमिलनाडु	5475	5685	772	1029	516
31	तेलंगाना	2854	3311	32	51	20
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	5	8898	9392	2837
33	त्रिपुरा	125	125	232	685	263
34	उत्तर प्रदेश	9901	9901	22510	22161	9727
35	उत्तराखंड	526	526	29630	32790	19890
36	पश्चिम बंगाल	13154	13154	130	81	9
कुल		**117771**	**118359**	**120371**	**131810**	**58430**
* आकलन वर्ष 2022-23 के अनंतिम आंकड़े						

******